रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 2016/माघ 22, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 204]
No. 23] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 2016/MAGHA 22, 1937 [N.C.T.D. No. 204]

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–I) विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 11 फरवरी, 2016

सं.एफ.3(28)/वित्त/(राजस्व–1)/2015–16/डीएस–VI/42.–दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**–(1) इस नियमावली को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **नियम 28 का संशोधन** :–दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 के उपनियम (3) में, तृतीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्: –

"आगे यह भी उपबंध है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में आयुक्त अधिसूचना द्वारा किसी डीलर या डीलरों की श्रेणी या श्रेणियों से डिजिटल हस्ताक्षर सहित रिटर्न प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसे डीलरों से अलग से रिटर्न की पावती के लिए फार्म डीवैट–56 में रिटर्न सत्यापन फार्म प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम से
ए. के. सिंह, उप–सचिव–VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 2016

No. F.3(28)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/42 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 28.-** In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, in rule 28, in sub-rule (3), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further also that the Commissioner may by a notification require a dealer or class or classes of dealer to furnish return with digital signatures in accordance with the provisions contained in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000). Such dealers will not be required to submit the Return Verification Form in Form DVAT-56 for acknowledgement of the return separately.".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 फरवरी, 2016

सं.फा.3(628)/नीति/वैट/2016/1424–36.–मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 27 के अन्तर्गत मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा उन फर्मों/कंपनियों, जो कुरियर गतिविधियों के कारोबार में लगे हुए हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उनके कार्यालय हैं, से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से या कार्य स्थल पर या कार्यालय में दस हजार रुपये से अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के लेनदेन की डिलीवरी के विवरणों को संलग्न फॉर्मेट "फार्म सीआर–II" में आनलाईन तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता हूँ। यह प्रक्रिया निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी:–

(1) इन सभी फर्म/कंपनी को अपने आपको इस विभाग की वेबसाईट www.dvat.gov.in पर लॉगिंग करके सबसे पहले मैन्यु में संबंधित लिंक को क्लिक करके नामांकित करना होगा। आधारभूत सूचना फार्म सीआर–I में ऑनलाईन फाईल की जाएगी। सूचना के सफलतापूर्वक जमा होने पर एक यूनिक आईडी (सीआरआईडी) बन जाएगा। यह आईडी फार्म सीआर– II में रिटर्न भरने के लिए लॉगइन आईडी के रूप में इस्तेमाल होगा। पहली बार सीआर– II भरने के लिये फर्म/कंपनी द्वारा प्रदान की गई ई–मेल पर पासवर्ड उपलब्ध किया जायेगा।

(2) रिर्टन फार्म सीआर–II में तिमाही आधार पर रिटर्न से संबंधित तिमाही के अगले महीने की 28 तारीख तक भरी जायेगी, शुरूआत में वर्तमान वित्त वर्ष पहली तीन तिमाहियों की रिटर्न (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2015, 01 जुलाई, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 और 01 अक्टूबर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015) 28 फरवरी, 2016 तक भरी जायेगी। किसी विसंगति की स्थिति में तद्नुसार फार्म सीआर–II में प्रस्तुत किये गये विवरणों को संबंधित रिटर्न की तिमाही की अगली तिमाही के अंत तक संशोधित किया जा सकता है।

(3) यह रिटर्न सीआरआईडी तथा पासवर्ड का इस्तेमाल करके विभाग की वेबसाईट पर लॉगिंग के माध्यम से विभाग को उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(4) किसी तिमाही के लिए फार्म सीआर–II में रिर्टन फाइल करते समय फर्म/कंपनी किसी क्रेता या प्रेषिती या प्राप्तकर्ता को सामान प्रदान करने की तिथि जो उक्त तिमाही के भीतर आती है, के विनियम का पूरा विवरण भरना अपेक्षित है। इसमें यह अप्रासंगिक है कि उक्त फर्म/कंपनी ने भेजने वाले या आपूतिकर्त्ता या विक्रेता आदि से सामान या भुगतान उक्त तिमाही के दौरान डिलीवरी करने लिए लिया था अथवा नहीं।

(5) फार्म सीआर–I में दिये गये विवरण में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे 30 दिन के भीतर अद्यतन किया जाएगा।

(6) अधिसूचना का अनुपालन न किया जाना उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

व्यापार एवं कर विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
फार्म सीआर–I

सही का चिह्न ✓ लगाएं	
मूल	☐
संशोधित *	☐

* कृपया फार्म के अंत में टीप देखें

1. कुरियर कंपनी/फर्म का नाम, पता तथा गठन	
1.1 नाम	
1.2 दिल्ली का पता	
पता 1	
पता 2	
पता 3*	
1.3 फर्म/कंपनी का गठन	सैलेक्ट ▼

*यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पंक्ति जोड़ें

ड्राप डाउन बॉक्स विकल्प–प्रोपराइटरशिप, पार्टनशिप, एचयूएफ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी (निर्दिष्ट करें)

2.1 आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (स्थायी खाता संख्या), यदि कोई हो	
2.2 टैन (स्रोत पर आयकर कटौती के लिये)	

3. फार्म सीआर. II में रिटर्न तैयार करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण	
3.1 पदनाम	
3.2 संपर्क संख्या (लैंडलाईन)	
3.3 ई–मेल आई डी	
3.4 कार्यालय का पता	
3.5 मोबाईल संख्या	

4. सत्यापन ।
मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से स्वीकार करते है तथा घोषणा करते है कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

नाम	
पदनाम	
संपर्क संख्या (लैंडलाईन)	
ई–मेल आईडी	
कार्यालय का पता	
मोबाईल संख्या	

1 सत्यापन किया जाना–

- (i) स्वामित्व के मामले में, व्यक्तिगत रूप से।
- (ii) भागीदारी फर्म के मामले में किसी भागीदार द्वारा।
- (iii) हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में, कर्ता द्वारा।
- (iv) कंपनी के मामले में, निदेशक द्वारा।
- (v) किसी अन्य विभाग के मामले में, विभाग के मुखिया या विभागाध्यक्ष द्वारा।

दिल्ली			
तिथि	दिन	महीना	वर्ष

रिवाईज्ड पर टिक करने से पहले से जारी सीईआईडी वाला दूसरा बॉक्स खुल जायेगा सीईआईडी भरने पर पहले से पंजीकृत ई–मेल आईडी पर या नई ई–मेल आईडी पर नया पासवर्ड आ जायेगा। नया पासवर्ड की आवश्यकता तब पड़ेगी जब फार्म के सभी फील्ड पिछले अवसरों पर दिये गये विवरण के साथ स्वतः जुड जायेंगे तथा केवल संबंधित फील्ड को ही संशोधित करना आवश्यक होगा।

व्यापार एवं कर विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
फार्म सीआर–II

सही का चिह्न ✓लगाएं	
मूल	☐
संशोधित *	☐

1.1 सीआरआईडी (फार्म सीआर–I के जमा करने पर प्राप्त आईडी)	
1.2 कुरियर कंपनी/फर्म का नाम, पता	

ऑटो पोप्यूलेटिड

2. रिटर्न से संबंधित अवधि	
2. 1 वित्तीय वर्ष	सैलैक्ट
2.2 तिमाही	सैलैक्ट

ड्रॉप डाउन बॉक्स 2015.16ए 2016.17ए 2017.18 आगे

ड्राप टाउन बाक्स विकल्प 1st तिमाही (1st अप्रैल .30th जून), 2nd तिमाही (1st जुलाई.30 सितम्बर), 3rd तिमाही (1st अक्तूबर. 31st दिसम्बर), 4th तिमाही (1st जनवरी .31st मार्च)

3. 10 हजार रुपये से अधिक मूल्य वाले सामान की डिलीवरी के लेनदेन का विवरण

प्रेषिती को सामान डिलीवर करने की तारीख	प्रेषित माल संख्या	प्रेषित माल तिथि	प्रेषिती का विवरण			
			नाम	पता	टिन	राज्य
1	2	3	4	5	6	7
*						

प्रेषक का विवरण						सामान डिलीवर करने का विवरण		
नाम	पता	टिन	राज्य	बिक्री बिल/इन्वाइस संख्या	बिक्री बिल/इन्वाइस तिथि	सामान का नाम	मात्रा/वजन	मूल्य (रुपये)
8	9	10	11	12	13	14	15	16

* आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पंक्तियां जोड़े

4. सत्यापन *

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से स्वीकार करते हैं तथा घोषणा करते है कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया हैं। यह भी पुष्टि की जाती है कि उपरोक्त क्षेत्र 3 में उल्लिखित विक्रेता ने खरीद पर देय वैट जमा कर दिया है।

पदनाम	
संपर्क संख्या (लैंडलाईन)	
ई–मेल आई डी	
कार्यालय का पता	
मोबाईल संख्या	

ऑटो पोप्यूलेटिड

** सत्यापन उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका विवरण फार्म सीआर–I के फील्ड 3 में दिया गया है।

दिल्ली			
तिथि	दिन	महीना	वर्ष

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th February, 2016

No. F. 3(628) /Policy/VAT/2016/1424-36.—In exercise of the powers conferred on me under Section 27 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as the said Act), I, S.S. Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, do hereby require all firms/companies engaged in the business of courier activities and having their offices functioning within the National Capital Territory of Delhi, to furnish an online quarterly return of details of transactions of delivering goods having value more than Rupees Ten Thousands at the doorsteps of their clients either individually or at the business places or offices in the format 'Form CR-II' enclosed herewith. This shall further be subject to the following conditions:-

1. Every such firm/company shall have to enroll itself by logging on to website of this Department **www.dvat.gov.in** at first by clicking on the relevant link on the menu. Basic information has to be filed online in Form CR-I. A unique ID (CRID) would be generated after successful submission of information. This ID shall be used as Login ID for filing the return in Form CR-II. Password for filing CR-II for the first time would be communicated on e-mail provided by the firm/company.

2. The return should be filed on quarterly basis in Form CR-II by 28th day of the month following the quarter to which the return pertains. To begin with, return for the first three quarters of the current financial year (i. e. 1st April, 2015 to 30th June, 2015; 1st July, 2015 to 30th September, 2015 and 1st October, 2015 to 31st December, 2015) is required to be filed by 28th February, 2016. In case any discrepancy is noticed subsequently, the details furnished in Form CR-II can be revised up to the end of the quarter following the quarter to which the return pertains.

3. The return should be uploaded on the above said portal of the Department by logging on to the website of the Department using the CRID and password.

4. While filing the return in Form CR-II for a quarter, the firm/company is required to furnish details of all such transactions where the date of delivering goods to the buyer or consignee or the recipient falls within the said quarter, irrespective of whether or not the goods or payment were received by the said firm/company from the sender or supplier or seller etc. for making delivery during the said quarter.

5. The details furnished in Form CR-I shall be required to be updated within 30 days in case of any change.

6. Non Compliance of the notification would be treated as violation of the provisions of the said Act and would be proceeded accordingly.

This notification shall come into force with immediate effect.

741 D G/16-2

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FORM CR-I

Please tick ✓	
ORIGINAL	☐
REVISED*	☐

*** please see note at the end of the Form**

1. Name, address and constitution of the Courier company/firm	
1.1 Name	
1.2 Addresses in Delhi	
Address 1	
Address 2	
Address 3*	
1.3 Constitution of the firm/company	**Select**

***Additional rows can be added, if required**

Drop down box with the options proprietorship, partnership, HUF, Private Ltd. Company, Public Ltd. Company, (please specify)

2.1 PAN (Permanent Account Number) issued by Income Tax Department, if any	
2.2 TAN (For deduction of Income Tax at source)	

3. Details of the person authorized to furnish returns in Form CR-II	
3.1 Designation/Status	
3.2 Contact No. (Landline)	
3.3 E-Mail ID	
3.4 Office Address	
3.5 Mobile No.	

4. Verification[1]

I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Name	
Designation/Status	
Contact No. (Landline)	
E-Mail ID	
Office Address	
Mobile No.	

[1] The verification is to be done-

(i) in case of proprietorship, by the individual himself
(ii) in case of partnership firm, by any partner
(iii) in case of Hindu Undivided Family, by the Karta
(iv) in case of a company, by any Director
(v) in case of any other entity, by the Chief or Head of that entity

Place			
Date	Day	Month	Year

***Ticking at 'REVISED' will open another box requiring CRID already issued. After filling of CRID, a new password will conveyed on the earlier registered e-mail ID or a fresh e-mail ID as desired. The new password will be required to be filled, after which all fields of the form will be auto-populated with details furnished on the previous occasion and only relevant field will be required to be modified.**

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FORM CR-II

Please tick ✓

ORIGINAL

REVISED

1.1 CRID (ID received on submission of Form CR-I)	
1.2 Name of the courier firm/company	

To be auto-populated

2. Period to which return pertains	
2. 1 Financial Year	Select
2.2 Quarter	Select

Drop down box with options 2015-16, 2016-17, 2017-18 onwards

Drop down box with options 1st Qtr (1st April-30th June), 2nd Qtr (1st July-30 September), 3rd Qtr. (1st October- 31st December), 4th Qtr (1st January-31st March)

3. Details of transactions of delivering goods having value more than Rupees Ten Thousands

Date of Delivery of goods to the consignee	Consignment Number	Consignment Date	Details of consignee			
			Name	Address	TIN	State
1	2	3	4	5	6	7
*						

Details of consigner						Details of good delivered		
Name	Address	TIN	State	Sale Bill/Invoice No.	Sale Bill/Invoice Date	Name of goods	Quantity/ weight	Value (₹)
8	9	10	11	12	13	14	15	16

* Additional rows as per the requirement may be added.

4. Verification**

I/We hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. It is also confirmed that the sellers mentioned in field 3 above, have certified deposit of due VAT on above purchases.

Name	
Designation/Status	
Contact No. (Landline)	
E-Mail ID	
Office Address	

To be auto-populated

**The verification is to be done by the person whose details have been submitted in field 3 of Form CR-I.

Place			
Date			
	Day	Month	Year

सं. फा. 3(619)/नीति/वैट/2016/1437–47.–मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 27 के अन्तर्गत मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या फा. 3(619)/नीति/वैट/2016/1291–1304 के आंशिक संशोधन में, मैं, एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों (अर्थात् 01 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2015, 01जुलाई, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 और 01 अक्टूबर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015) के लिये फार्म जीई–II में रिटर्न 29 फरवरी, 2016 तक भरी जानी अपेक्षित है तथा आगे यह भी अनुमति देता हूं कि प्रारूप जी.ई.–II में भरी जाने वाली किसी भी रिटर्न को फाइल करने के पश्चात्, यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो रिटर्न की तिमाही अवधि वाले वर्ष के अगले वित्त वर्ष के अंत तक संशोधित रिटर्न भरी जा सकती है। रिटर्न फाईल करते समय, सरकारी विभाग द्वारा यह दर्शाना कि रिटर्न 'मूल' है या 'संशोधित' अपेक्षित है।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

No. F 3(619)/Policy/VAT/2016/1437-47.—In exercise of the powers conferred on me under section 27 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as the said Act) and in partial modification to the notification number F3(619)/Policy/VAT/2016/1291-1304 dated 12th January, 2016, I, S. S. Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, do hereby direct that the returns in Form GE-II for the first three quarters of the current financial year (i. e. 1st April, 2015 to 30th June, 2015; 1st July, 2015 to 30th September, 2015 and 1st October, 2015 to 31st December, 2015) are required to be filed by 29th February, 2016 and further allow the revision of any return in Form GE-II, in case any discrepancy is noticed after filing the same, up to the end of financial year following the financial year of the quarterly period of the return. While filing a return the Government Entity shall be required to indicate whether the return is original or revised.

This notification shall come into force with immediate effect.

S. S. YADAV, Commissioner, Value Added Tax

Printing by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.